



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 21, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. यूसीसी से कुर्मी समुदाय का अपवर्जन और एसटी दर्जे की मांग	2
2. महानदी नदी जल विवाद का समाधान	4
3. वैश्विक ऊर्जा संकट और सल्फर आपूर्ति में व्यवधान: भारतीय कृषि पर प्रभाव	5
4. आश्वस्त (AASHVAST): हार्डवेयर कमजोरियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की हाई-टेक प्रयोगशालाएं	7
5. आईसीबीसी इंडिया के परिचालन और सीमा पार वित्तीय जोखिम पर डोकलाम गतिरोध का प्रभाव	9
6. भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) का विकास और रणनीतिक विरासत	10
7. उच्चतम न्यायालय का मानदंड बदलाव: मानव केंद्रित (एंथ्रोपocेंट्रिक) से पारिस्थितिकी केंद्रित (इकोसेंट्रिक) पर्यावरण न्यायशास्त्र	12
8. जयशंकर यूएनजीए सत्र में अमेरिकी रूस प्रतिबंध विधेयक उठाएंगे	13
9. पीर पंजाल श्रृंखला में आतंकवाद विरोधी अभियान और सुरक्षा ढांचा	15
10. प्रोजेक्ट चीता का विस्तार: मादा चीता को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया	17
11. भारतीय शिल्पकला का सांस्कृतिक दुर्विनियोग और बौद्धिक संपदा अधिकार	19
12. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 में नवीन प्रावधान	20



1. यूसीसी से कुर्मी समुदाय का अपवर्जन और एसटी दर्जे की मांग

प्रमुख बिंदु और सारांश

- राजनीतिक बयानों से संकेत मिलता है कि कुर्मी समुदाय को प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- कुर्मी एक प्रमुख कृषि प्रधान समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के जंगलमहल क्षेत्र में स्थित हैं, तथा झारखंड और ओडिशा तक फैले हुए हैं।
- वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत, यह समुदाय सक्रिय रूप से अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे की मांग कर रहा है।

- कुर्मी अपनी मातृभाषा कुड़माली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता देने और शामिल करने की वकालत कर रहे हैं।
- राज्य प्रशासन ने अपने एसटी समावेशन के मामले को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को एक "फर्दर कॉमन जस्टिफिकेशन रिपोर्ट" सौंपने का संकल्प लिया है।
- सरकार ने पिछले आंदोलनों के दौरान समुदाय के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का भी वादा किया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **समान नागरिक संहिता (यूसीसी):** नागरिक कानूनों का एक समान समूह जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है।
- **अनुसूचित जनजातियां (एसटी):** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सकारात्मक कार्रवाई लाभ और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नामित सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जनजातीय समुदाय।
- **ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग):** शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण लाभ सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 342A के तहत नामित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का समूह।
- **जंगलमहल:** पश्चिम बंगाल के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में फैला एक वनाच्छादित भौगोलिक क्षेत्र, जो कई स्वदेशी समुदायों का घर है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 44:** राज्य नीति का निर्देशक तत्व (डीपीएसपी) जो राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 342:** राष्ट्रपति के आदेश और उसके बाद संसदीय संशोधन के माध्यम से किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देश की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।
- **अनुच्छेद 342A:** सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी/ओबीसी) की पहचान और अधिसूचना से संबंधित है।
- **आठवीं अनुसूची:** संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की सूची शामिल है।
- **पांचवीं और छठी अनुसूचियां:** जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता और प्रथागत पारंपरिक कानूनों की सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो अक्सर एसटी को मानकीकृत व्यक्तिगत कानूनों से छूट देती हैं।

निष्कर्ष एसटी समावेशन की मांग और यूसीसी से छूट प्रथागत प्रथाओं, जनजातीय पहचान और संघीय नीति के जटिल प्रतिच्छेदन को रेखांकित करती है। स्वदेशी संस्कृतियों को संरक्षित करते हुए नागरिक कानूनों में एकरूपता का संतुलन बनाने के लिए सावधानीपूर्वक संवैधानिक पालन और आम सहमति की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

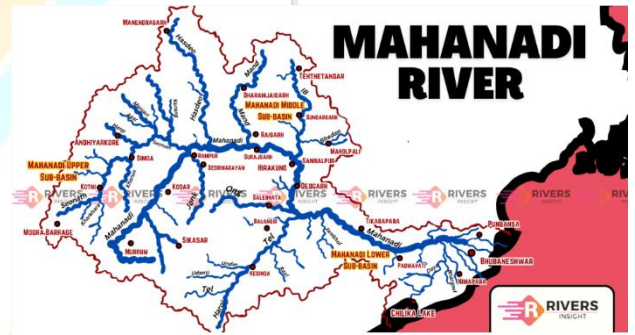
- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान (अनुच्छेद 44, 342, आठवीं अनुसूची), वैधानिक निकाय, आरक्षण संबंधी नीतियां और जनजातीय शासन।

- **जीएस पेपर I:** भारतीय समाज, बहुलवाद, सामाजिक सशक्तिकरण और क्षेत्रीय आंदोलन।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** डीपीएसपी अनुच्छेद 44, एसटी सूचीकरण के मानदंड, आठवीं अनुसूची के तहत भाषाएं और जंगलमहल का भौगोलिक विस्तार।

2. महानदी नदी जल विवाद का समाधान

प्रमुख बिंदु और सारांश

- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ओडिशा के साथ लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल बंटवारा विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद है।
- ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों सरकारों ने जल वितरण के संबंध में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा तैयार किए गए निर्णय का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है।
- राज्य स्तर और केंद्र दोनों पर राजनीतिक संरेखण से सहकारी संघवाद और संघर्ष समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।
- मुख्यमंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय कल्याण पहलों को आगे बढ़ाना था।
- ओडिशा के विपक्षी दलों ने द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान ओडिशा के निचले तटीय जल हितों की न्यायसंगत सुरक्षा के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं।
- केंद्रीय जनादेश के तहत गठित महानदी जल विवाद अधिकरण, सीडब्ल्यूसी के तकनीकी हस्तक्षेपों के साथ-साथ औपचारिक न्यायनिर्णयन निकाय बना हुआ है।



Mahanadi River System: Tributaries & Map of India

आवश्यक परिभाषाएं

- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद:** अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच एक औपचारिक विवाद।
- **केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी):** जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करने वाला भारत में एक प्रमुख तकनीकी संगठन, जो जल संसाधन नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग योजनाओं को शुरू करने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।
- **तटीय अधिकार (रिपेरियन राइट्स):** किसी प्राकृतिक जलमार्ग से सटे भूस्वामियों या प्रशासनिक क्षेत्रों के उसके जल प्रवाह के उचित उपयोग के संबंध में कानूनी अधिकार।
- **महानदी नदी बेसिन:** धमतरी जिले (छत्तीसगढ़) से निकलने वाली और ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 262(2):** संसद को ऐसे अंतर-राज्यीय जल विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकने की अनुमति देता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956:** जल संघर्षों के समाधान के लिए राज्यों के अनुरोध पर तदर्थ अधिकरणों के गठन का प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित।
- **सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 17):** राज्यों को जलापूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।
- **सातवीं अनुसूची (सूची I, प्रविष्टि 56):** जनहित में अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास पर संघ संसद को शक्तियां प्रदान करती है।

निष्कर्ष केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी मध्यस्थता के माध्यम से महानदी जल बंटवारे के संघर्ष का सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करना कार्यात्मक संघवाद की ओर एक रचनात्मक कदम है। ऊपरी तटीय क्षेत्र में उपरी निर्माण कार्य को निचले तटीय पारिस्थितिक और कृषि संबंधी आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान, अंतर-राज्यीय संबंध, संघीय ढांचा, विवाद निवारण तंत्र और शासन।
- **जीएस पेपर I:** भारत का भौतिक भूगोल, प्रमुख नदी प्रणालियां और अपवाह प्रतिरूप (महानदी नदी बेसिन)।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** अनुच्छेद 262 के प्रावधान, आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम 1956 के तंत्र, महानदी की सहायक नदियां (शिवनाथ, हसदेव, इब, तेल) और सीडब्ल्यूसी के कार्य।

3. वैश्विक ऊर्जा संकट और सल्फर आपूर्ति में व्यवधान: भारतीय कृषि पर प्रभाव

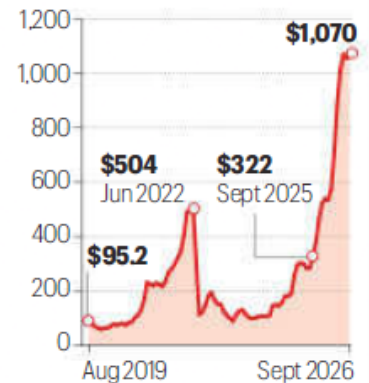
प्रमुख बिंदु और सारांश

- पश्चिम एशिया और रूस-यूक्रेन में भू-राजनीतिक संघर्षों ने प्रमुख ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़े व्यवधान पैदा हुए हैं।
- हालांकि भारत ने पर्याप्त यूरिया और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करके खाद्य सुरक्षा खतरे को सफलतापूर्वक टाल दिया, लेकिन सल्फर की कीमतों में गंभीर वृद्धि एक नई चुनौती के रूप में उभरी है।

- भारत में आयातित सल्फर की लैंडेड कीमतें (लागत और समुद्री माल भाड़ा) वर्ष की शुरुआत से दोगुनी से भी अधिक होकर \$1,050–1,100 प्रति टन तक पहुंच गई हैं।
- रूस, ईरान, सऊदी अरब (सऊदी अरामको) और कतर (कतरएनर्जी) में प्रमुख गैस प्रसंस्करण सुविधाओं और तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण वैश्विक सल्फर उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हुई है।
- सल्फर एक आवश्यक कच्चा माल है जिसका उपयोग डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) और जटिल उर्वरकों जैसे प्रमुख कृषि इनपुट के निर्माण में किया जाता है।
- मौलिक सल्फर में तीव्र लागत वृद्धि से प्रमुख फसल सत्रों से पहले गैर-यूरिया जटिल उर्वरकों की घरेलू उत्पादन क्षमता और लागत स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है।

• Average import price of sulphur

(\$ per tonne, cost & freight to India)



आवश्यक परिभाषाएं

- **मौलिक सल्फर (एलिमेंटल सल्फर):** पौधे की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण द्वितीयक पोषक तत्व और मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण तथा पेट्रोलियम शोधन के उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाला एक प्रमुख रासायनिक अग्रदूत।
- **डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी):** यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक खपत वाला उर्वरक, जो जड़ों के विकास और फसल की उपज के लिए आवश्यक नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करता है।
- **सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी):** एक बहु-पोषक तत्व उर्वरक जिसमें फास्फेट, सल्फर और कैल्शियम होता है, जो बड़े पैमाने पर मौलिक सल्फर से प्राप्त सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करके निर्मित होता है।
- **लैंडेड लागत (सीएंडएफ):** अपने गंतव्य तक पहुंचाए गए आयातित माल की कुल कीमत, जिसमें उत्पाद की लागत और समुद्री माल भाड़ा शुल्क शामिल है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** केंद्र सरकार को उर्वरकों सहित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- **उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985:** पूरे भारत में रासायनिक उर्वरकों के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य निर्धारण मानकों और वितरण दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रशासित।
- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना:** उर्वरक विभाग के माध्यम से कार्यान्वित एक केंद्रीकृत नीति ढांचा जो सल्फर (S), नाइट्रोजन (N), फास्फेट (P) और पोटैश (K) सहित द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर प्रति किलोग्राम निश्चित वार्षिक सब्सिडी प्रदान करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 39(b):** राज्य नीति का निर्देशक तत्व जो राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम जनता का सर्वोत्तम भला हो सके, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और कृषि इनपुट वितरण पर लागू होता है।

निष्कर्ष वैश्विक ऊर्जा गलियारों में भू-राजनीतिक संवेदनशीलता सामरिक खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। कच्चे माल के आयात में विविधता लाना, दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को मजबूत करना और पोषक तत्व-उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना घरेलू उर्वरक निर्माण की रक्षा करने और कृषि आय की स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी से जुड़े मुद्दे, प्रमुख फसल पैटर्न, खाद्य सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के प्रभाव।
- **जीएस पेपर II:** भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते (पश्चिम एशिया, रूस-यूक्रेन)।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना, मैक्रो/माइक्रो प्लांट पोषक तत्व के रूप में सल्फर की भूमिका, डीएपी/एसएसपी में रासायनिक इनपुट और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान।

4. आश्वस्त (AASHVAST): हार्डवेयर कमजोरियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की हाई-टेक प्रयोगशालाएं

प्रमुख बिंदु और सारांश

- भारतीय सेना रक्षा हार्डवेयर को सुरक्षित करने के लिए देश भर में छह विशेष आश्वस्त (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हार्डवेयर की भेद्यता और सुरक्षा खतरों का आकलन और विश्लेषण) प्रयोगशालाएं स्थापित कर रही है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय (डीजी ईएमई) के लिए विकसित, यह प्रणाली ड्रोन और निगरानी कैमरों के लिए अनिवार्य फर्मवेयर सत्यापन का संचालन करती है।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य विदेशी हार्डवेयर-स्तरीय बग, छिपे हुए कमांड, बैकडोर और मालिकाना निगरानी प्रोटोकॉल का पता लगाना है।
- यह संवेदनशील सीमाओं पर तैनात मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) में एकीकृत चीनी मूल के इलेक्ट्रॉनिक घटकों के संबंध में गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है।
- यह नैदानिक सुइट लगभग 14 प्रकार की कमजोरियों की जांच करता है, जिसमें भू-स्थानिक जियो-फेन्सिंग बग, छिपे हुए मास्टर पासवर्ड और हार्डकोडेड रिमोट कंट्रोल बैकडोर शामिल हैं।
- यह ढांचा सख्त तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा लागू करके और अविश्वसनीय विदेशी आपूर्ति नोड्स पर निर्भरता को समाप्त करके आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **आश्वस्त (AASHVAST):** कमजोरियों और सुरक्षा खतरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हार्डवेयर का आकलन और विश्लेषण (असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हार्डवेयर फॉर वुलनेरेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स), एक विशेष फर्मवेयर विश्लेषण और सत्यापन सॉफ्टवेयर सुइट।



- **फर्मवेयर:** किसी इलेक्ट्रॉनिक घटक की रीड-ओनली मेमोरी में प्रोग्राम किया गया स्थायी सॉफ्टवेयर जो डिवाइस के विशिष्ट हार्डवेयर संचालन के लिए निम्न-स्तरीय नियंत्रण प्रदान करता है।
- **हार्डवेयर बैकडोर:** एक माइक्रोचिप या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सीधे एम्बेडेड एक गुप्त तरीका जो अनधिकृत रिमोट एक्सेस की अनुमति देने के लिए सामान्य सुरक्षा प्रमाणीकरण को बायपास करता है।
- **भू-स्थानिक भेद्यता (जियोस्पेशियल वुलनेरेबिलिटी):** विशिष्ट भौगोलिक निर्देशांक के भीतर काम करते समय प्लेटफॉर्म को खराब करने, स्वयं को अक्षम करने या दिशा बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया एम्बेडेड दुर्भावनापूर्ण कोड।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति:** रक्षा-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित नागरिकों, व्यवसायों और शासन के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के उद्देश्य से बनाया गया ढांचा।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020:** कड़े साइबर ऑडिट मानदंडों के साथ-साथ स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण (आईडीडीएम) पर जोर देते हुए रक्षा खरीद को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 70):** महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) को अधिसूचित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए विशेष सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 246 (संघ सूची, प्रविष्टि 1 एवं 2):** संसद को भारत की रक्षा और सशस्त्र बलों के विनियमन पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

निष्कर्ष आश्वस्त (AASHVAST) प्रयोगशालाओं की स्थापना व्यापक रक्षा हार्डवेयर स्वच्छता और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा की ओर एक सक्रिय बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। निम्न-स्तरीय फर्मवेयर सुरक्षा में अंतर को पाटकर, भारत विवादित युद्ध क्षेत्रों में अपनी परिचालन तत्परता और साइबर लचीलेपन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां।
- **जीएस पेपर III:** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और रक्षा क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का विकास (आत्मनिर्भर भारत)।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** डीजी ईएमई का जनादेश, फर्मवेयर बनाम सॉफ्टवेयर कमजोरियों की अवधारणाएं, रक्षा खरीद मार्ग और हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखला जोखिम।

5. आईसीबीसी इंडिया के परिचालन और सीमा पार वित्तीय जोखिम पर डोकलाम गतिरोध का प्रभाव

प्रमुख बिंदु और सारांश

- एक गोपनीय कार्य सारांश से पता चला है कि चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) ने वर्ष 2017 के डोकलाम सैन्य गतिरोध के दौरान भारत में 185 मिलियन डॉलर के स्वीकृत ऋणों को रोक दिया था।
- बैंक की मुंबई स्थित एकमात्र भारतीय शाखा ने राजनीतिक और ऋण जोखिमों से बचाव के लिए 11 स्वीकृत ऋणों और बॉन्ड निवेशों में संवितरण को समय से पहले निलंबित कर दिया था।
- आईसीबीसी ने गतिरोध के दौरान चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने के लिए सभी शाखा विभागों में अपने आंतरिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के कैडरों को निर्देश दिया था।
- भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, आईसीबीसी इंडिया की कुल संपत्ति 11 वर्षों में लगभग पांच गुना बढ़ गई, जो मार्च 2015 में ₹1,386 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक ₹6,378 करोड़ हो गई।
- बैंक के पास कुल ₹3,522 करोड़ का महत्वपूर्ण निवेश है, जिसमें ₹4,194 करोड़ की ग्राहक जमा राशि के साथ भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में ₹2,885 करोड़ आवंटित हैं।
- जांच से पता चलता है कि कैसे राज्य के स्वामित्व वाले विदेशी वित्तीय संस्थान भू-राजनीतिक रणनीति के साधनों के रूप में काम करते हैं, जो अपने गृह राष्ट्रों के राजनीतिक निर्देशों के साथ वाणिज्यिक बैंकिंग को संतुलित करते हैं।

CHINA'S BANK IN INDIA

PART 1 OF 2 • DOKLAM IN MUMBAI

CONFIDENTIAL

Why It Matters

- Unprecedented access**
 This investigation provides a rare, unprecedented look into the internal mechanics of an opaque state-owned financial giant as it navigates sensitive geopolitical flashpoints.
- Loans hit by a border standoff**
 It explicitly reveals how ICBC's Mumbai branch moved to ring-fence its economic interests by suspending critical loans and investments in direct response to the 2017 Doklam standoff.
- More than a commercial bank**
 The leak also documents the extensive, formalised influence of the Chinese Communist Party within the bank's daily operations, confirming its role as a strategic instrument of state policy rather than a strictly commercial entity.

आवश्यक परिभाषाएं

- **इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी):** चीन का एक सरकारी स्वामित्व वाला वाणिज्यिक बैंक और कुल संपत्ति के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, जो सीधे राज्य की देखरेख में काम करता है।
- **डोकलाम गतिरोध (2017):** भारत-भूटान-चीन त्रि-जंक्शन के पास विवादित डोकलाम क्षेत्र में चीनी सड़क निर्माण को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 73 दिनों तक चला सैन्य सीमा आमना-सामना।
- **अंवितरित ऋण साख (अनडिसबर्स्ड लोन क्रेडिट):** बैंकिंग संस्थान द्वारा प्रतिबद्ध स्वीकृत क्रेडिट लाइनें या ऋण सुविधाएं जिन्हें अभी तक उधारकर्ता द्वारा निकाला या वितरित नहीं किया गया है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जांच (स्क्रीनिंग):** राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह का मूल्यांकन करने के लिए एक मेजबान राष्ट्र द्वारा लागू किए गए कानूनी और नियामक तंत्र।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** भारतीय अधिकार क्षेत्र के भीतर काम करने वाले विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं को लाइसेंस देने, निरीक्षण करने, विनियमित करने और निगरानी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को अधिकार देता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999:** वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए सीमा पार पूंजी प्रवाह, विदेशी निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) को विनियमित करता है।
- **प्रेस नोट 3 (एफडीआई नीति में 2020 का संशोधन):** भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से उत्पन्न होने वाले सभी विदेशी निवेशों के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी अनिवार्य करता है।
- **अनुच्छेद 246 (संघ सूची, प्रविष्टि 36 एवं 37):** भारत की संसद को विदेशी मुद्रा, मुद्रा, सिक्का ढलाई और बैंकिंग नियमों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है।

निष्कर्ष भू-राजनीतिक गतिरोध के दौरान राज्य से जुड़े बैंकिंग चैनलों का रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग विदेशी वित्तीय संस्थानों पर मजबूत नियामक निगरानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देता है। राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ राष्ट्रीय वित्तीय बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए सख्त अनुपालन निगरानी और विदेशी पूंजी स्रोतों के रणनीतिक विविधीकरण की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों को जुटाने, बैंकिंग प्रणाली, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों और उनके प्रबंधन, तथा धन शोधन से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर II:** भारत को शामिल करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (भारत-चीन संबंध), और भारत के हितों पर देशों की नीतियों का प्रभाव।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** प्रेस नोट 3 के प्रावधान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई की शक्तियां, ईसीबी पर फेमा नियम और डोकलाम त्रि-जंक्शन की भौगोलिक स्थिति।

Dream | Dare | Deliver

6. भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) का विकास और रणनीतिक विरासत

प्रमुख बिंदु और सारांश

- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1968 में स्थापित, आर एंड एडब्ल्यू (R&AW) का गठन 1962 और 1965 के युद्धों में उजागर हुई खुफिया कमियों के बाद भारत की समर्पित विदेशी खुफिया एजेंसी के रूप में किया गया था।
- संस्थापक प्रमुख रामेश्वर नाथ काव ने विदेशी खुफिया, गुप्त अभियानों और रणनीतिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुलिस-केंद्रित संरचनाओं से अलग एजेंसी को डिजाइन किया।
- आर एंड एडब्ल्यू ने 1971 के युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण पूर्व-निवारक खुफिया जानकारी प्रदान की, पाकिस्तानी सैन्य संचार को इंटरसेप्ट किया और पश्चिमी क्षेत्र में हवाई हमलों की चेतावनी दी।

- प्रमुख संस्थागत विकासों में हवाई टोही के लिए विमानन अनुसंधान केंद्र (एआरसी) को मजबूत करना और उच्च ऊंचाई वाले सीमा अभियानों के लिए विशेष सीमा बल (एसएफएफ) का गठन करना शामिल था।
- सामरिक युद्ध से परे, एजेंसी ने राष्ट्रीय नीति को प्रभावित किया, जिसमें रणनीतिक संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर न करने के लिए नेतृत्व को सलाह देना शामिल था।
- दशकों से, आर एंड एडब्ल्यू राष्ट्रीय सुरक्षा के एक मुख्य स्तंभ के रूप में विकसित हुआ, जिसने रणनीतिक गुप्त कार्रवाई, विदेशी खुफिया संग्रह और क्षेत्रीय स्थिरता पहलों को संस्थागत रूप दिया।



आवश्यक परिभाषाएं

- **रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW):** कैबिनेट सचिवालय के तहत सीधे काम करने वाली भारत की प्राथमिक बाहरी खुफिया एजेंसी।
- **विमानन अनुसंधान केंद्र (एआरसी):** हवाई निगरानी, इमेजरी इंटेलिजेंस और सीमा टोही प्रदान करने वाली एक विशेष खुफिया इकाई।
- **विशेष सीमा बल (एसएफएफ):** 1962 के बाद बनाया गया एक विशेष अर्धसैनिक बल, जो विवादित सीमाओं पर उच्च ऊंचाई वाले गुप्त अभियानों और सीमा रक्षा के लिए प्रशिक्षित है।
- **सिग्नल्स इंटेलिजेंस (SIGINT):** विदेशी संस्थाओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक संकेतों और संचार के अवरोधन (इंटरसेप्शन) के माध्यम से एकत्र की गई खुफिया जानकारी।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **कार्यकारी उत्पत्ति:** आर एंड एडब्ल्यू को संसद के वैधानिक अधिनियम के बजाय कैबिनेट सचिवालय के तहत एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से बनाया गया था।
- **कैबिनेट सचिवालय संरचना:** आर एंड एडब्ल्यू कैबिनेट सचिव के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961:** औपचारिक रूप से कैबिनेट सचिवालय को बाहरी खुफिया जानकारी एकत्र करने और सुरक्षा मूल्यांकन का विषय आवंटित करता है।
- **अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है, जो कार्यकारी खुफिया निकायों के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करती है।

निष्कर्ष आर एंड एडब्ल्यू की उत्पत्ति और विकास राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए संस्थागत बाहरी खुफिया जानकारी की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। एक जटिल भू-राजनीतिक मैट्रिक्स में आधुनिक खुफिया वास्तुकला को परिष्कृत करने के लिए वैधानिक जवाबदेही के साथ कार्यकारी विवेक को संतुलित करना केंद्रीय बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा में बाहरी राज्य और गैर-राज्य कलाकारों की भूमिका, और सुरक्षा एजेंसियों की संरचना।
- **जीएस पेपर II:** शासन, कैबिनेट सचिवालय की कार्यकारी शक्तियां और विदेश नीति का निर्माण।

- प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** आर एंड एडब्ल्यू बनाम आईबी का जनादेश, कैबिनेट सचिवालय के तहत प्रशासनिक स्थिति, एआरसी और एसएफएफ का ऐतिहासिक संदर्भ, और 1971 के रणनीतिक संचालन।

7. उच्चतम न्यायालय का मानदंड बदलाव: मानव केंद्रित (एंथ्रोपोसेंट्रिक) से पारिस्थितिकी केंद्रित (इकोसेंट्रिक) पर्यावरण न्यायशास्त्र

प्रमुख बिंदु और सारांश

- उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र में मानव केंद्रित से पारिस्थितिकी केंद्रित प्रतिमान की ओर चल रहे न्यायिक बदलाव पर प्रकाश डाला।
- एक पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण यह दावा करता है कि प्रकृति के पास मानवीय उपयोगितावादी लाभों से स्वतंत्र अंतर्निहित मूल्य है, जिसके लिए मनुष्यों को गैर-मानवीय जीवन के प्रति दायित्वों को वहन करने की आवश्यकता होती है।
- यह संबोधन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा आयोजित "पर्यावरण का भविष्य और जलवायु गतिशीलता" नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया था।
- पर्यावरण न्यायनिर्णयन को दूरदर्शिता के अभ्यास के रूप में वर्णित किया गया था जो भविष्य के पारिस्थितिक प्रभाव की तीव्र जागरूकता के साथ वर्तमान को नियंत्रित करने की मांग करता है।

	Aspects	Ecocentric (Traditional)	Anthropocentric (Modern)
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने समावेशी कानूनी ढांचे और संस्थागत साझेदारियों के निर्माण पर जोर दिया जो जलवायु जोखिमों का सामना कर रहे कमजोर समुदायों की रक्षा करते हैं।	Views of Nature	Nature = living and spiritual entities	Nature = economic resources
	Disaster response	Spiritual, ethical, communal	Technical, legal, technological
	Knowledge system	Local wisdom & oral tradition	Modern science & formal policy
	Moral values	Alignment, balance	Exploitation, efficiency
न्यायिक रुझानों के लिए तेजी से प्रकृति को केवल संपत्ति, वस्तु या आर्थिक संसाधन के बजाय अधिकारों वाली एक इकाई के रूप में मानने की आवश्यकता होती है।	Long-term impact	Socio-ecological resilience	Environmental and social crises

आवश्यक परिभाषाएं

- मानव केंद्रितता (एंथ्रोपोसेंट्रिज्म):** एक मानव-केंद्रित नैतिक दृष्टिकोण जो मनुष्यों को नैतिक विचार के केंद्र में रखता है, प्रकृति को केवल मानवता के लिए इसकी उपयोगिता के माध्यम से देखता है।
- पारिस्थितिकी केंद्रितता (इकोसेंट्रिज्म):** एक प्रकृति-केंद्रित मूल्य प्रणाली जो मानवीय उपयोगिता की परवाह किए बिना सभी पारिस्थितिक तंत्रों, प्राकृतिक संस्थाओं और प्रजातियों में अंतर्निहित मूल्य को पहचानती है।
- पर्यावरण न्यायशास्त्र:** प्रकृति की रक्षा करने और पर्यावरण के साथ मानवीय संपर्क को विनियमित करने के लिए बनाए गए कानूनी सिद्धांतों, दर्शन और न्यायिक मिसालों का निकाय।

- **पर्यावरणीय समानता (सबस्टैटिव एनवायरनमेंटल इकैलिटी):** एक कानूनी सिद्धांत जो इस बात पर जोर देता है कि पर्यावरण शासन को विभेदित सामाजिक प्रभावों का हिसाब रखना चाहिए और हाशिए पर पड़े समूहों को असमान पर्यावरणीय नुकसान से बचाना चाहिए।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21:** जीवन का अधिकार, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के मौलिक अधिकार को शामिल करने के लिए व्याख्यायित किया गया है (एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ)।
- **अनुच्छेद 48A:** राज्य नीति का निर्देशक तत्व यह अनिवार्य करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 51A(g):** मौलिक कर्तव्य जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाता है।
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010:** पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एनजीटी की स्थापना करता है।
- **पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन (सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत):** कानूनी सिद्धांत जो यह मानता है कि हवा, समुद्र, जल और वन जैसे संसाधन जनता और गैर-मानवीय संस्थाओं के लिए ट्रस्ट में सरकार द्वारा धारण किए जाते हैं।

निष्कर्ष मानव केंद्रितता से पारिस्थितिकी केंद्रितता की ओर बढ़ना आधुनिक पारिस्थितिक गिरावट से लड़ने के लिए आवश्यक न्यायिक ढांचे को मजबूत करता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को अंतर्निहित मूल्य प्रदान करना संवैधानिक कर्तव्यों को सतत विकास के साथ संरेखित करता है, जिससे अंतर-पीढ़ीगत जलवायु समानता सुनिश्चित होती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** न्यायपालिका, विकास प्रक्रियाएं, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, वैधानिक निकायों की भूमिका (एनजीटी), और मौलिक अधिकार/कर्तव्य।
- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), जलवायु परिवर्तन गतिशीलता, और सतत विकास।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** डीपीएसपी अनुच्छेद 48A बनाम मौलिक कर्तव्य 51A(g), एनजीटी अधिनियम 2010 के प्रावधान, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, और उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक पर्यावरणीय निर्णय।

8. जयशंकर यूएनजीए सत्र में अमेरिकी रूस प्रतिबंध विधेयक उठाएंगे

प्रमुख बिंदु और सारांश

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भाग लेने वाले हैं, जहां वे 26 सितंबर को राष्ट्रीय वक्तव्य देने वाले हैं।

- इस यात्रा का एक प्रमुख द्विपक्षीय ध्यान नए अधिनियमित अमेरिकी कानून (लिंगसे ओ. ग्राहम सेंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026) पर भारतीय चिंताओं को दूर करना शामिल है जो अमेरिका को रूसी ऊर्जा व्यापारिक साझेदारों पर द्वितीयक प्रतिबंध और 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है।
- भारत ने 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जबकि वाशिंगटन को चेतावनी दी कि दंडात्मक द्वितीयक व्यापार उपाय द्विपक्षीय संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- रणनीतिक जुड़ाव नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए चल रही बातचीत के साथ-साथ होते हैं।
- यूएनजीए के 81वें सत्र की अध्यक्षता बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान कर रहे हैं, जो जटिल वैश्विक संघर्षों के बीच हो रहा है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता व्यवधान भी शामिल है जो ग्लोबल साउथ के लिए ऊर्जा पहुंच को प्रभावित कर रहा है।
- व्यापक राजनयिक पहुंच में सामान्य बहस के इतर अमेरिकी समकक्षों और प्रमुख विदेशी नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें शामिल हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए):** संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग, जिसमें सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं, जो बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए एक सार्वभौमिक मंच प्रदान करता है।
- **द्वितीयक प्रतिबंध (सेकेंडरी सेंक्शंस):** किसी देश द्वारा गैर-घरेलू संस्थाओं या तीसरे पक्ष के राष्ट्रों के खिलाफ निर्देशित उपाय ताकि उन्हें प्राथमिक लक्षित देश के साथ आर्थिक लेन-देन में शामिल होने से रोका जा सके।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** किफायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता, जो घरेलू आर्थिक स्थिरता और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- **ग्लोबल साउथ:** लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के विकासशील, उभरते और कम आय वाले देशों को संदर्भित करने वाला एक व्यापक शब्द जो साझा सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51(c) एवं (d):** राज्य नीति के निर्देशक तत्व (डीपीएसपी) जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करते हैं।
- **अनुच्छेद 253:** विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने की विशेष विधायी शक्ति संसद को प्रदान करता है।
- **भारत सरकार कार्य आवंटन नियम:** विदेश मंत्रालय (एमईए) को विदेशी मामलों, द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों के संचालन का आवंटन करता है।

- **एकतरफा प्रतिबंध बनाम अंतर्राष्ट्रीय कानून:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सिद्धांत जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के अधिकार के बिना प्रतिबंधों को राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले अलौकिक उपायों के रूप में देखा जाता है।

निष्कर्ष यूएनजीए में भारत का सक्रिय राजनयिक जुड़ाव बढ़ते भू-राजनीतिक दबावों के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करते हुए द्वितीयक व्यापार उपायों को नेविगेट करना घरेलू विकास को बनाए रखने और संतुलित विदेशी संबंधों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** भारत और उसका पड़ोस- संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौते, भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **जीएस पेपर II:** महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनकी संरचना, जनादेश और परिचालन ढांचा (यूएनजीए, यूएनएससी)।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** यूएनजीए का जनादेश, डीपीएसपी अनुच्छेद 51 के प्रावधान, द्वितीयक प्रतिबंध बनाम प्राथमिक प्रतिबंध, और रणनीतिक चौक बिंदुओं (होर्मुज जलडमरूमध्य) का भूगोल।

9. पीर पंजाल श्रृंखला में आतंकवाद विरोधी अभियान और सुरक्षा ढांचा

प्रमुख बिंदु और सारांश

- सुरक्षा बलों ने पीर पंजाल श्रृंखला के ऊपरी इलाकों में चार महीने का निरंतर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया, जिससे रणनीतिक पारगमन मार्गों पर विदेशी आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया गया।
- एक बड़ा परिचालन बदलाव 10 दिनों से लेकर कई महीनों तक की विस्तृत उपस्थिति बनाए रखने के लिए कठिन पहाड़ी इलाकों में अस्थायी परिचालन आधारों (टीओबी) की स्थापना करना शामिल है।
- सुरक्षा तैनाती को तीन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संरचित किया गया है: ऊपरी इलाकों में पैराट्रूपर्स, मध्य श्रेणियों में राष्ट्रीय राइफल्स, और निचले इलाकों में अर्धसैनिक बलों के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस।
- जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने समर्पित उच्च-ऊंचाई वाले लड़ाकू दस्तों की शुरुआत की, जिनमें शीतकालीन पर्वतीय युद्ध के लिए 'स्रो लेपर्ड्स' और घने जंगलों में युद्ध के लिए 'मारखोर' शामिल हैं।
- आतंकवादियों को स्थितिगत लाभ से वंचित करने और कश्मीर घाटी तथा जम्मू क्षेत्र (पुंछ-राजौरी अक्ष) के बीच घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए उन्नत निगरानी उपकरण, नाइट-विज़न उपकरण और आधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं।
- विकसित हो रहे ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) नेटवर्क, विदेशी आतंकवादी घुसपैठ और घने जंगल के भूखंडों में जटिल प्राकृतिक गुफाओं के ठिकानों के कारण परिचालन चुनौतियां बनी हुई हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अस्थायी परिचालन आधार (टीओबी):** दूरस्थ, उच्च-ऊंचाई वाले इलाकों में स्थापित रणनीतिक चौकियां ताकि निरंतर सतर्कता बनी रहे और पहाड़ी दर्रों पर आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके।
- **राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर):** जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से गठित भारतीय सेना का एक विशेष आतंकवाद-रोधी बल।
- **विशेष अभियान समूह (एसओजी):** जम्मू-कश्मीर पुलिस का विशिष्ट आतंकवाद-रोधी विंग जो विशेष रणनीतिक अभियानों और शहरी/पर्वतीय युद्ध के लिए प्रशिक्षित है।
- **ओवर-ग्राउंड वर्क्स (ओजीडब्ल्यू):** गैर-लड़ाकू सहायता नेटवर्क जो आतंकवादी संगठनों को रसद सहायता, खुफिया जानकारी, आश्रय और पारगमन मार्ग प्रदान करते हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा), 1958/1990:** नामित अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष परिचालन शक्तियां प्रदान करता है।
- **गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967:** प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून जो व्यक्तियों और संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने में सक्षम बनाता है और कड़े आतंकवाद विरोधी प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 355:** संघ को यह दायित्व सौंपता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे।
- **सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 1 एवं 2):** संघ के राष्ट्रीय सुरक्षा जनादेशों के साथ काम करते हुए राज्य सरकारों को सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

निष्कर्ष

पीर पंजाल श्रृंखला में अस्थायी परिचालन आधारों के माध्यम से निरंतर तैनाती की ओर परिवर्तन हाइब्रिड सुरक्षा खतरों के खिलाफ अनुकूली सैन्य रणनीति को प्रदर्शित करता है। जम्मू-कश्मीर में रणनीतिक पारगमन गलियारों को सुरक्षित करने के लिए खुफिया-आधारित अभियानों को मजबूत करना और समर्थन पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करना मौलिक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, बाहरी राज्य और गैर-राज्य कलाकारों की भूमिका, तथा विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां एवं उनका जनादेश।
- **जीएस पेपर II:** विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 355)।

- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** पीर पंजाल श्रृंखला का भूगोल (जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच दर्रे और क्षेत्रीय संपर्क), राष्ट्रीय राइफल्स की संरचना, और यूएपीए तथा अफ़सपा के तहत वैधानिक प्रावधान।

10. प्रोजेक्ट चीता का विस्तार: मादा चीता को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया

प्रमुख बिंदु और सारांश

- प्रोजेक्ट चीता के तहत, मूल रूप से बोत्सवाना से आयातित सीसीबी-2 नामक तीन वर्षीय मादा चीता को कुनो राष्ट्रीय उद्यान से स्थानांतरित करने के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ दिया गया।
- इस जुड़ाव से गांधी सागर में कुल चीतों की संख्या बढ़कर चार (दो नर और दो मादा) हो गई है, जिससे यह अभयारण्य कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत का दूसरा कार्यात्मक चीता आवास बन गया है।
- मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर मंदसौर-नीमच क्षेत्र में स्थित, गांधी सागर कुनो में अत्यधिक भीड़भाड़ को कम करने के लिए एक वैकल्पिक मेटापोपुलेशन आवास प्रदान करता है।
- वन्यजीव अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कदम से प्रजनन में आसानी होगी, क्योंकि स्थल पर पहले से मौजूद मादा चीता ने निवासी नरों के साथ सफलतापूर्वक संभोग नहीं किया था।
- इसके साथ ही, भारत में जन्मी एक मादा चीता (केजीपी12) ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चार शावकों को जन्म दिया, जो भारतीय धरती पर पैदा हुई दूसरी पीढ़ी के चीता वंश के आगमन का प्रतीक है।
- इन संरक्षण मील के पथरों ने भारत में चीतों की कुल आबादी को बढ़ाकर 56 कर दिया है, जिससे एशियाई घास के मैदानों में विलुप्त शीर्ष शिकारी को बहाल करने के दीर्घकालिक प्रयासों को मजबूती मिली है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रोजेक्ट चीता:** भारत के सवाना और घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए अफ्रीकी चीतों (एकिनोनक्स जुबेट्स) को फिर से पेश करने के उद्देश्य से शुरू की गई दुनिया की पहली अंतरमहाद्वीपीय वन्य मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना।

- **मेटापोपुलेशन प्रबंधन:** आनुवंशिक विविधता बनाए रखने और स्थानीय विलुप्ति को रोकने के लिए भौगोलिक रूप से अलग-अलग आबादी के बीच व्यक्तियों के नियंत्रित मानव-सहायता प्राप्त आवाजाही को शामिल करने वाली एक संरक्षण रणनीति।
- **एशियाई चीता (एकिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस):** चीते की वह उप-प्रजाति जिसे 1952 में भारत में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जो वर्तमान में केवल ईरान में गंभीर रूप से कम संख्या में जीवित है।
- **गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य:** उत्तरी मध्य प्रदेश में चंबल नदी बेसिन के साथ स्थित एक संरक्षित घास का मैदान और खुला वन पारिस्थितिकी तंत्र।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अनुसूची I):** भारत में चीतों को उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जो उल्लंघन के लिए कड़े दंड के साथ शिकार और वाणिज्यिक व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
- **साइट्स (CITES - परिशिष्ट I):** चीता के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रों के बीच सीमा पार जैविक हस्तांतरण गैर-वाणिज्यिक, संरक्षण-उन्मुख जनादेश का सख्ती से पालन करते हैं।
- **अनुच्छेद 48A:** राज्य नीति का निर्देशक तत्व जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने के लिए बाध्य करता है।
- **अनुच्छेद 51A(g):** मौलिक कर्तव्य जिसके तहत नागरिकों को वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

गांधी सागर अभयारण्य में दूसरे मेटापोपुलेशन नोड की सफल स्थापना व्यवहार्य, आत्मनिर्भर चीता आबादी स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है। बहु-साइट आवासों का प्रबंधन बीमारी के जोखिमों को कम करता है, अंतर-प्रजाति संघर्षों को न्यूनतम करता है, और घास के मैदान की जैव विविधता बहाली को बढ़ावा देता है।

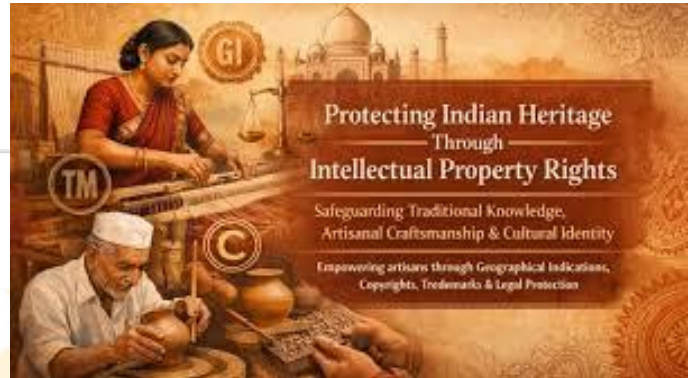
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, और प्रजाति पुनर्प्रवेशन पहल।
- **जीएस पेपर II:** वन्यजीव शासन में वैधानिक और नियामक निकाय (एनटीसीए, डब्ल्यूसीसीबी) और संवैधानिक डीपीएसपी/मौलिक कर्तव्य।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** अफ्रीकी बनाम एशियाई चीता की आईयूसीएन स्थिति, गांधी सागर और कुनो राष्ट्रीय उद्यानों का भूगोल, चंबल नदी बेसिन, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान।

11. भारतीय शिल्पकला का सांस्कृतिक दुर्विनियोग और बौद्धिक संपदा अधिकार

प्रमुख बिंदु और सारांश

- राल्फ लॉरेन और फेंडी जैसे वैश्विक लक्जरी ब्रांडों को श्रेय या उत्पत्ति का उल्लेख किए बिना आरी कढ़ाई और शीशे के काम (मिरर-वर्क) जैसी पारंपरिक भारतीय शिल्पकला का सांस्कृतिक रूप से दुर्विनियोग करने के लिए जांच का सामना करना पड़ रहा है।
- एक मौलिक बेमेल मौजूद है क्योंकि पारंपरिक बौद्धिक संपदा (आईपी) कानून व्यक्तिगत स्वामित्व को मान्यता देते हैं, जबकि पारंपरिक भारतीय शिल्प पीढ़ियों से सामूहिक रूप से धारित होते हैं।
- जबकि भौगोलिक संकेत (जीआई) नामों और क्षेत्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं, वे अक्सर व्यक्तिगत रूपांकनों, टांकों (स्टिच), या दृश्य तत्वों को सीमा पार वाणिज्यिक शोषण से बचाने में विफल रहते हैं।
- कारीगरों और ग्रामीण शिल्प समुदायों के पास विदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ आईपी अधिकारों की निगरानी, प्रवर्तन और मुकदमेबाजी के लिए आवश्यक वित्तीय और कानूनी संसाधनों की कमी है।
- विशेषज्ञ ऐतिहासिक उत्पत्ति, रूपांकनों और पारंपरिक तकनीकों का दस्तावेजीकरण करने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रियों के साथ सामुदायिक संरक्षकता की कानूनी मान्यता स्थापित करने की वकालत करते हैं।
- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) के तहत वैश्विक ढांचे पारंपरिक ज्ञान को मान्यता देने और निष्पक्ष लाभ-साझाकरण तंत्र स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सांस्कृतिक दुर्विनियोग (कल्चरल मिसएप्रोप्रिएशन):** वाणिज्यिक लाभ के लिए बाहरी संस्थाओं द्वारा किसी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान, डिजाइनों या सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को अनाधिकृत या बिना श्रेय के अपनाया जाना।
- **भौगोलिक संकेत (जीआई):** एक कानूनी पदनाम जो किसी उत्पाद को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के रूप में पहचानता है, जिसमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- **सामुदायिक संरक्षकता (कम्युनिटी कस्टोडियनशिप):** एक कानूनी सिद्धांत जो उस समुदाय को पारंपरिक ज्ञान पर सामूहिक अधिकार और शासन प्रदान करता है जिसने शिल्प को बनाए रखा और प्रसारित किया।
- **पारंपरिक ज्ञान (टीके):** ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, कौशल और प्रथाएं जो एक विशिष्ट समुदाय के भीतर पीढ़ियों से विकसित, पोषित और प्रसारित की जाती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999:** माल के लिए जीआई टैग के पंजीकरण और संरक्षण का प्रावधान करता है, जो पंजीकृत मालिकों और अधिकृत उपयोगकर्ताओं को विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- **कॉपीराइट अधिनियम, 1957:** मूल कलात्मक और साहित्यिक कार्यों की रक्षा करता है, हालांकि अक्सर व्यक्तिगत लेखकों की कमी वाले सदियों पुराने सामूहिक पारंपरिक कला रूपों के लिए अपर्याप्त होता है।
- **आईपी, आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान पर विपो संधि (2024):** पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के लिए आईपी सुरक्षा, एट्रिब्यूशन और लाभ-साझाकरण को संबोधित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
- **अनुच्छेद 29(1):** विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला मौलिक अधिकार ताकि वे इसे संरक्षित रख सकें।
- **अनुच्छेद 49:** राज्य नीति का निर्देशक तत्व जो राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक हित के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

पारंपरिक भारतीय शिल्पकला की रक्षा के लिए मानक आईपी ढांचों से आगे बढ़कर सामूहिक संरक्षकता और डिजिटल उत्पत्ति रजिस्ट्रियों को अपनाने की आवश्यकता है। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय नियम और सामुदायिक क्षमता स्थापित करने से रचनात्मक नवाचार को दबाए बिना उचित पारिश्रमिक सुरक्षित होगा और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर I:** भारतीय संस्कृति, प्राचीन से आधुनिक काल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू, विरासत का संरक्षण।
- **जीएस पेपर III:** बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के मुद्दे, भौगोलिक संकेत, और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** जीआई अधिनियम 1999 के प्रावधान, पारंपरिक ज्ञान पर विपो संधियां, अनुच्छेद 29(1), और भारत के प्रमुख जीआई-टैग वाले शिल्प (जैसे, कोल्हापुरी चप्पल, आरी कार्य)।

12. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 में नवीन प्रावधान

प्रमुख बिंदु और सारांश

- प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 सख्त निगरानी का प्रावधान करता है, यह अनिवार्य करता है कि एफसीआरए प्रमाणपत्र के रद्द होने, समर्पण करने या नवीनीकरण न होने पर, विदेशी अंशदान और निर्मित संपत्ति अस्थायी रूप से सरकार द्वारा नियुक्त "नामित प्राधिकारी" (डेजिग्रेटेड अथॉरिटी) में निहित हो जाएगी।
- यदि निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण बहाल नहीं किया जाता है तो स्थायी रूप से संपत्ति का अधिग्रहण हो जाता है, जिससे प्राधिकारी को संपत्तियों को सरकारी विभागों में स्थानांतरित करने या उन्हें बेचने की अनुमति मिलती है, जिससे प्राप्त आय को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है।

- प्राथमिक सरकारी चिंताएं अपारदर्शी विदेशी पूंजी प्रवाह के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं, जो राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियानों, चयनात्मक स्थानीय वकालत और जबरन धर्म परिवर्तन को वित्तपोषित करने के लिए राज्य के लेखांकन को दरकिनार करते हैं।
- नागरिक समाज संगठन और अल्पसंख्यक-संचालित संस्थान गैर-तटस्थ प्रवर्तन की संभावना को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा गंभीर रूप से बाधित हो सकती है।
- वर्ष 2015 से अब तक 22,000 से अधिक एफसीआरए पंजीकरण रद्द किए जा चुके हैं, जिससे लगभग 14,400 सक्रिय संघ विदेशी धन प्राप्त करने के पात्र रह गए हैं।
- यह कानून विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और निजी दान के माध्यम से घरेलू परोपकार में विविधता लाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, साथ ही एक जीवंत नागरिक समाज को बनाए रखता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए):** राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए विदेशी दान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित एक वैधानिक ढांचा।
- **नामित प्राधिकारी (डेजिग्रेटेड अथॉरिटी):** 2026 विधेयक के तहत गैर-अनुपालन वाली संस्थाओं की विदेशी वित्तपोषित संपत्तियों का अनंतिम कब्जा लेने, प्रबंधन करने या उनका निपटान करने के लिए अधिकार प्राप्त एक सरकार द्वारा नियुक्त निकाय।
- **भारत की संचित निधि:** अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित प्राथमिक सरकारी कोष, जिसमें सभी सरकारी राजस्व, जुटाए गए ऋण और संपत्ति परिसमापन आय जमा की जाती है।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):** एक वैधानिक जनादेश जिसके तहत पात्र कंपनियों को सामाजिक और पर्यावरणीय विकास पहलों पर अपने शुद्ध लाभ का एक न्यूनतम हिस्सा खर्च करने की आवश्यकता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 19(1)(c):** नागरिकों को भारत की सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और अखंडता के हित में अनुच्छेद 19(4) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला मौलिक अधिकार।
- **अनुच्छेद 26:** धार्मिक सम्प्रदायों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने तथा धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 266(1):** भारत की संचित निधि को नियंत्रित करता है, जो सार्वजनिक राजस्व जमा करने और राज्य में निहित परिसंपत्तियों को परिसमाप्त करने की कानूनी प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135):** योग्यता प्राप्त निगमों के लिए औसत शुद्ध लाभ के 2% के अनिवार्य सीएसआर खर्च को अनिवार्य करता है, जिससे घरेलू सामाजिक क्षेत्र की साझेदारियों को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सुरक्षा को नागरिक समाज की स्वायत्तता के साथ संतुलित करने के लिए वैध विकासात्मक कार्यों में बाधा डाले बिना मजबूत, पारदर्शी नियामक तंत्र की आवश्यकता है। भारतीय घरेलू परोपकार और कॉर्पोरेट सीएसआर साझेदारी का विस्तार संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हुए विदेशी फंडिंग निर्भरता को कम करने का एक स्थायी मार्ग प्रदान करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग—गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों की भूमिका, वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
- **जीएस PAPER III:** आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर-राज्य कलाकारों की भूमिका, धन शोधन और इसकी रोकथाम।
- **प्रारंभिक परीक्षा पर ध्यान:** एफसीआरए 2010 और 2026 संशोधनों के वैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 266(1), कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, और भारत की संचित निधि को नियंत्रित करने वाले तंत्र।

